

कार्यालय
पत्रांक / मान्यता /

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
71 / 2017-18

गौतमबुद्धनगर।
दिनांक 13-04-17

प्रबन्धक,
बैनट्री ग्लोबल स्कूल,
एचएस-27 रिम्मा-2 ग्रेटर नौएडा
जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषय:- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम-2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 16.08.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं उपरोक्त विद्यालय को नवीन शैक्षिक रात्र 2017-2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सांसायटी/विद्यालय किसी केपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा ओर वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा -

✓,

- (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी, कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कारित नहीं किया जायेगा।
- (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई चोरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रगाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (xviii) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	=	13241 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्रफल	=	20000 वर्ग फिट
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	=	शेष क्रीड़ा स्थल
कक्षाओं की संख्या	=	17
प्राध्यापक—सहकार्यालय— सहभण्डार के लिए कक्ष	=	04
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	=	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	=	उपलब्ध है।
मिड-डे—मील पकाने के लिए रसोई	=	उपलब्ध है।
बाधारहित पहुँच	=	उपलब्ध है।
अध्यापक पठन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेल कूद,	=	उपलब्ध है।
उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता।		

- ९ विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से काई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक G.J.H.S - ३३० है। कृपया इसे नोट कर ले और कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।
16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र / छात्राओं के बैठने हेतु ०९ वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करें।
17. संलग्न उपार्द्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मान्यता से सम्बन्धित समस्त अद्यतन शासनादेश / विभागीय आदेश प्रभावी माने जायेंगे।
19. विद्यालय में अहं व ठी०इ०टी० उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति की जाए साथ ही आरक्षण का पालन किया जाए।
20. प्रबन्धक द्वारा मान्यता आवेदन के साथ प्रस्तुत कोई भी पत्राजात यदि किसी प्रकार से फर्जी / कूटरचित / मिथ्या पाये जाते हैं तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही के साथ-साथ प्रबन्धक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर